

बिहार सरकार  
 अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
 सं०-६/निदे०आयु०चि०के०(संघा०)-०१-०१/२०१७-१६७

प्रेषक,

विरेन्द्र कुमार,  
 निदेशक ।

सेवा में,

आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी।  
 शीतलपूर (कटिहार)

पटना, दिनांक- 12.03.18

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ स्थायी आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र के संधारण हेतु वेतन, जीवन यापन भत्ता, अन्य भत्ता मदों में कुल ₹ 40,000/- चालीस हजार ₹0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ 10 स्थायी आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों के संधारण हेतु वेतन, जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ता मद में आवंटन विभागीय आवंटनादेश संख्या 10 दिनांक 24/05/2017, आवंटनादेश संख्या-50 दिनांक 01.08.2017 एवं आवंटनादेश संख्या-93 दिनांक 23.11.2017, आवंटनादेश संख्या-99 दिनांक 13.12.2017 एवं आवंटनादेश संख्या- 107 दिनांक 28.12.2017 के द्वारा क्रमशः ₹1,04,82,000/-, ₹16,29,000/-, ₹ 6,06,000/-, ₹ 2,86,000/- एवं ₹ 1,60,000/- अर्थात् कुल ₹1,31,63,000/- (एक करोड़ एकतीस लाख तिरसठ हजार ₹0) मात्र दिया गया था । आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, शीतलपूर (कटिहार) के माँग पत्र के आलोक में वेतनादि मदों में कुल ₹ 40,000/-- ( चालीस हजार ₹0) अतिरिक्त आवंटन निम्न प्रकार दिया जाता है । (राशि-₹0 में)

क्रमांक	आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	कुल आवंटित राशि
1	शीतलपूर (कटिहार)	18,000/-	20,000/-	2,000/-	40,000/-
	कुल:-	18,000	20,000	2,000	40,000

(चालीस हजार ₹0 मात्र)

2- कुल भारत व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्यय शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण- 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-282-स्वास्थ्य-मांग सं-44-0001-आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्रों का संधारण-” कूट सं०-0001.01.01-वेतन, 0001.01.03-जीवन यापन भत्ता, 0001.01.04-मकान किराया भत्ता, त्रिपत्र कोड -44-2225022820001 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है ।

3-इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी होंगे जो पूर्व से इस योजना हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं । जहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, वहाँ राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे । वे निकासी की गयी राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह में विभाग को भेजेंगे । साथ



11/7

ही व्यय के पश्चात राशि की बचत का मदवार प्रत्यार्पण विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।


4- वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 एवं पत्रांक 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है। अतः समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5- राशि की नियमानुसार निकासी एवं व्यय का पूर्ण दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर होगा तथा व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

6- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

7- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,


  
(वीरेन्द्र कुमार)  
निदेशक 1/31/18

ज्ञापांक- सं०-6/निदे०आयु०चि०के०(संघा०)-01-01/2017- 147 पटना, दिनांक- 12.03.18  
प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया / जिला पदाधिकारी, कटिहार/उप विकास आयुक्त, कटिहार /कोषागार पदाधिकारी, कटिहार/संबंधित उप कोषागार पदा०/ प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, पूर्णिया/जिला कल्याण पदाधिकारी, कटिहार/ बजट शाखा एवं सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ आई०टी०मेनेजर, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक 1/31/18

1/31/18